(6)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 91/2021 दायर दिनांकः 23.12.2021

उनवान

1. (मृतक) लक्ष्मीनारायण आत्मज उंकारलाल जाति कुल्मी नि. मगीसपुर

1/1 मुन्नीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तह. सुनेल

1/2 रामगोपाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तह. सुनेल

1/3 परमेश्वर पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तह. सुनेल

1/4 पुष्पा पिता लक्ष्मीनारायण जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तह. सुनेल

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र कालूराम जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2. शैलेन्द्र पुत्र कालूराम जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
3. जयकिशन पुत्र गुमानीराम जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
4. प्रकाशचन्द्र पुत्र गुमानीराम जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5. रामनारायण पुत्र गुमानीराम जाति कुल्मी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़ राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–

प्रार्थीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत

अप्रार्थी सं. 1 से 2 – श्री रामनाथ सिंह

अप्रार्थी सं. 3 से 5 – एकतरफा

अप्रार्थी सं. 6 – पेरोकार सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

निर्णय

दिनाकः 15.07.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि प्रार्थी के खातेदारी की आराजी खसरा [illegible] हल्का मंगीसपुर तहसील सुनेल में स्थित है। यह कि [illegible] के [illegible] की आराजी खसरा न० 445 में पहुंचने का रास्ता खसरा न० 44[illegible] दक्षिणी मेड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(1)

पर स्थित रहा है। यह रास्ता उत्तर से प्रारम्भ होकर रास्ता दर्ज भूमि में जो खसरा न0 451, 450, 570 के मध्य स्थित रास्ते से होकर खसरा न० 448 की दक्षिणी मेढ पूर्व से पश्चिम लम्बाई में जो लगभग 250 फीट लम्बाई होकर 12 चौडाई का रास्ता मौजूद रहा है। इस रास्ते का अप्रार्थीगण रोकना चाहते है तार खम्भे लगाकर बन्द कर दिया है। 3. यहकि खसरा न० 448 परिवारीक सेटलमेन्ट बटवारा ने अप्रार्थी मुकेश, शेलेन्द्र पुत्र कालूराम के हिस्से में है जिस पर काश्त मुकेश शेलेन्द्र पुत्र कालूराम करते है परन्तु भूमि के अन्य सहखातेदार जयकिशन 1/4 प्रकाशचन्द 1/4 रामनारायण 1/4 पुत्रगण गुमानी राम का नाम भी सहखातेदारी में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र में तकनीकी त्रुटी न ही इस कारण सहखातेदारान् को भी पक्षकार बनाया गया है रास्ते की भूमि शेलेन्द्र मुकेश के हिस्सेदारी हक अधिकार बंटवारा भूमि है। यह कि अप्रार्थीगण 1 व 2 ताकत व शहजोर पर प्रार्थी का रास्ता रोक रहे है तथा धमकीया देते है कि हम रास्ता बंद कर देगे। राजस्व रिकार्ड मे रास्ता दर्ज नहीं है हम तुम्हे निकलने नहीं देगे। विवाद होने पर वादी ने तहसीलदार सुनेल को इस बाबत् शिकायत पत्र दिया उनके द्वारा कहा गया है कि दावा लगाकर रास्ता लेना है इस कारण वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह कि प्रार्थी को रास्ता खसरा न० 48 की दक्षिणी दिशा में पूर्व मे पश्चिम लम्बाई मे 12 फीट चौडाई का माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित दर (DLC) दर पर दिलवाया जाना है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी खसरा न० 445 पर पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नही है इस रास्ते के अभाव में प्रार्थी की भूमि पडत बंजर अनुपयोगी हो जावेगी। प्रार्थी काश्त नहीं कर पायेगा, खेती नहीं होने, से प्रार्थी एवं परिवार के सामने आर्थिक हानि होगी जिसकी भरपाई सम्भव नहीं है इस कारण प्रार्थी से निर्धारित राशि जमा करवा कर खसरा न० 448 में रास्ता दिलवाना उचित एवं आवश्यक है। यह कि प्रार्थी को खसरा न० 448 की दक्षिण दिशा में (मेढ पर) पूर्व में पश्चिम की लम्बाई में 12 फीट चौडाई का रास्ता जो कृषि कार्य के लिए टेक्टर, ट्राली, बैलगाडी, जा[illegible] अन्य उपयोगी कृषि यंत्र, जलयन्त्र जल प्राप्त करने के लिए उप[illegible] य[illegible] आदि सुविधा पूर्वक लाये जा सकते है तथा इस [illegible] देने में अ[illegible] को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं है कि क्यो [illegible] से ही पर्याप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

रास्ता चौडाई का रहा है जिसका उपयोग प्रार्थी व परिवार के सदस्य हाली नौकर करते रहे है परन्तु अप्रार्थी के द्वारा बार–बार बिना उपयुक्त कारणो के उत्तेजित होकर रास्ता बंद करने अवरोध लगाने की धमकीयां देने से अशांति उत्पन्न होती है जिससे मानव जीवन मे तनाव उत्पन्न होता है तनाव के जीवन को रोक लगाने तथा शांति से काश्त करने के लिए प्रार्थी रास्ता का भूमि की मुल्य डी०एल०सी० दर मे चुकाकर प्राप्त करना चाहता है। जिसकी पात्रता प्रार्थी का कानून की मंशा के अनुरूप भी प्राप्त है तथा माननीय न्यायालय को भी आदेश पारित करने में कोई असुविधा नहीं है इस कारण आवश्यक होने व शांति कायम करने व तनावग्रस्त जीवन का त्याग करने के लिए प्रार्थी को डी०एल०सी० दर से रास्ता दिया जाना उचित है। यह कि वाद कारण प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण उत्पन्न होता है तथा निकलने में फसल की बुवाई करने तैयार करने, भरकर गोदाम मण्डी पहुंचाने में विवाद होने मे निरन्तर वाद कारण बना हुआ है। यह कि विवादित स्थल ग्राम मगीसपुर तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना है कि –

(अ) यह कि प्रार्थी के हक मे अप्रार्थी के विरूद्ध खसरा न० 448 ग्राम मंगीसपुर पटवार हल्का मंगीसपुर में स्थित आराजी जो अप्रार्थीगण के खातेदारी की है इस भूमि के दक्षिण दिशा मे पूर्व से पश्चिम लम्बाई में 12 फीट की चोडाई का रास्ता प्रार्थी के खसरा न० 445 पर पहुंचने के लिए कृषियन्त्र, कृषि औजार ट्रेक्टर ट्राली, पशु पैदल उपयोग के लिए रास्ता डी०एल०सी० दर से जमा करवा कर रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित राहत जो भी आवश्यक हो प्रार्थी को जारी की जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 1 जानकारी के [illegible] स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पेरा नम्बर 2 [illegible]ढ़त तथ्यों के [illegible]र पर गलत लिखा हैं जो अस्वीकार है। अप्रार्थी [illegible] 2 के [illegible] आराजी खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

(9)

नम्बर 448 की दक्षिणी मेढ़ पर से प्रार्थी के खातेदारी कृषि भूमि पर जाने का रास्ता कभी नही रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 3 में विधिक रूप से अप्रार्थी 1 लगायत 5 के बीच में शामलाती खाते में दर्ज हैं। पेरा नम्बर 3 में वर्णित कृषि भूमि अप्रार्थी नं. 1 लगायत 5 के शामलाती खाते में दर्ज हैं जिसका कानूनी बंटवारा नही हुआ है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 4 गलत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 5 गलत लिखा हैं जो अस्वीकार हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि पर आने जाने के लिए सनातन से मंगीसपुर बावड़ी से करमाखेड़ी गांव के रास्ते से खाल के पहले से मगीसपुर से हेमड़ा डामर रोड़ लिंक से रास्ता जुडा हुआ है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। वही दूसरा रास्ता मंगीसपुर से हेमड़ा रोड़ से पश्चिम से पूर्व की ओर करमाखेड़ी के रास्ते से मिलता है जो कि दोनो ओर सनातन रास्ता है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 6 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 7 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 8 क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 9 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र के पेरा नम्बर 10 की प्रार्थना अस्वीकार है। विशेष कथन– यह कि प्रार्थी द्वारा उक्त दावा गलत, बनावटी तथ्यों पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं जो विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी नं. 1 व 2 के खातेदारी कृषि भूमि से खसरा नम्बर 448 की दक्षिणी मेढ़ से कोई रास्ता नही रहा है। यह कि प्रार्थी को अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 445 पर आने जाने का रास्ता ग्राम मंगीसपुर बावड़ी से करमाखेड़ी गांव के आम रास्ते से खाल के पहले से घाटी से मुड़कर मंगीसपुर से हेमड़ा डामर रोड़ लिंक से रास्ता जुडा हुआ है जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है व प्रार्थी के आराजी पर पहुंचता है वहीं दूसरा रास्ता मंगीसपुर से हेमड़ा रोड़ से पश्चिम से पूर्व की ओर करमाखेड़ी के रास्ते से मिलता है जो कि दोनो ओर सनातन रास्ता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3. अप्रार्थी सं. 3 से 5 के बावजूद सूचना अनुपस्थित [illegible] अतः मुताबिक आदेशिका दिनांक 04.08.2022 को अप्रार्थी सं. 3 से 5 के [illegible] एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

4. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम मंगीसपुर का खाता सं. 351, 382 की जमाबंदी सं. 2075–78 की नकल, खसरा नक्शा दिनांक 28.10.2024, लक्ष्मीनारायण का मृत्यु प्रमाण पत्र, 2023(2) आर.आर.टी.निम्बाराम बनाम प्रेमाराम पेज 854 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये तथा रामगोपाल पि. लक्ष्मीनारायण, परमेश्वर पि. लक्ष्मीनारायण, कारूलाल पि. रामचन्दर AW1 to 3 के शपथ पत्र पेश किये।

5. अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वादग्रस्त आराजी के 4 फोटोग्राफस, पेन ड्राईव, एस.बी.सिविल रीट पिटीशन 9012/15 गजाराम व अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवन्यु अजमेर व अन्य, 2014(1) आर.आर.टी. उमराराम बनाम बृजलाल पेज 40, एस.बी.सिविल रीट पिटीशन 12386/15 वाघसिंह बनाम बोर्ड आफ रेवन्यु अजमेर व अन्य के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. पैरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्र कमांक/राजस्व/2024/286 दिनांक 15.03.2024 से मौका रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी ख.नं. 445 रकबा 1.4923 हैक्ट, प्रार्थी श्री लक्ष्मीनारायण पि० अंकारलाल जाति कुल्मी नि० मंगीसपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ख.नं. 448 रकबा 1.2014 हैक्ट, भूमि अप्रार्थी जयकिशन पि० गुमानीराम बगै, जाति कुल्मी नि० मंगीसपुर के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर ख.नं. 447ध1224 रकबा 0.3794 हैक्ट. किस्म ना.का.का. बंजड खाता सरकार दर्ज है और इसी खसरे से मंगीसपुर–करमाखेडी रास्ता बना हुआ है, इसी रास्ते से होते हुए ख.नं. 446, 447 की दक्षिणी सीमा पर ग्राम का कांकड से होते हुए प्रार्थी के खेत पर आने–जाने का रास्ता निकला हुआ है। जो कि मौके पर चालू है। प्रार्थी लक्ष्मीनारायण ख.न. 448 की दक्षिणी मेड पर 12 फीट चौडा रास्ता चाहता है उक्त रास्ते को निकालने के लिए 305 फीट लम्बा एवं 12 फीट चौडा यानि 3660 वर्गफीट अर्थात ख.नं. 448 रकबा 1.2014 हैक्ट, में से 0.0340 हैक्ट. भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी। अतः उपरोक्त प्रकरण के संबंध में चाही गई रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, प्रमाणित डी.एल.सी. दर की प्रति मय अनुशंषा श्रीमान की सेवा में प्रेषित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(11)

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 445 तक पहूँच हेतु ना तो कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है और ना ही कोई मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी तक कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए आसपास के खातेदारो से बार बार अनुनय विनय कर अस्थाई रूप से बडी मुश्किल से निकल पा रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि में से दिये जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि भी जमा कराने हेतु तैयार है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के मद कम 5 में अंकित किये गये दोनो वैकल्पिक रास्ते ना तो मौके पर अस्तित्व में है और ना ही कभी चालू रहे है। ये दो ग्रामों की सरहद या कांकड पर स्थित है, जहां बरसात में पानी भरने से तालाब बन जाता है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

8. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध करते हुए एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 445 तक पहूँच हेतु दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध है और दोनो वर्तमान में चालू भी है। आगे तर्क किया गया कि तहसीलदार सुनेल ने अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2022 एवं दिनांक 15.03.2024 में अंकित किया है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ग्राम के कांकड से होकर रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू भी है जिनके फोटोग्राफस अप्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में पेश किये है। अभिभाषक ने आगे तर्क किया कि प्रार्थीगण के अन्य पडौसी खातेदार भी वर्षो से इन्ही वैकल्पिक रास्तो से होकर इसी आराजी तक आते जाते है। प्रार्थीगण बलशाली आदमी है और अपनी सुविधा के लिए जबरन अप्रार्थीगण की भूमि से होकर रास्ता लेना चाहता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भारी कोस्ट पर खारीज फरमाया जावे।

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट एवं पेश न्यायिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तों के पालना जरूरी है:–

(i) रिकार्डेड पहूँच मार्ग –प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 445 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोइ भी पहूँच मार्ग दर्ज नहीं है। ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल के लटठा नक्शा व आन लाईन नक्शे के अवलोकन से सावित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

(ii) वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – अभिभापक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है लेकिन अभिभापक अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु दो वैकल्पिक रास्ते – करमाखेडी से मंगीसपुर कच्चे रास्ते से लिंक रोड हेमडा मंगीसपुर डामर से होकर सनातनी रास्ता एवं मंगीसपुर की कांकड से होकर है। प्रार्थीगण वर्षो से इनका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के थोडा लम्वा होने से प्रार्थीगण सुविधा के लिए अप्रार्थीगण की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है। इस संदर्भ में तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2022/589 दिनांक 19.09.2022 मय खसरा नक्शा का अवलोकन किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी पर जाने हेतु ततसमय ख.नं. 447, 447/1224 व 446 की दक्षिण मेड एवं ग्राम करमाखेडी के कांकड की उत्तरी मेड के मध्य से होकर कच्चा रास्ता बना हुआ है जो मौके पर चालू है। इसी प्रकार तहसीलदार सुनेल से पुनः तलब की गई मौका रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/2024/286 दिनांक 15.03.2024 मय खसरा नक्शा के विन्दू सं. 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 445 तक पहूँच हेतु ग्राम मंगीसपुर के सरकारी ख.नं. 447/1224, 447 व 446 की दक्षिण मेड जो कि ग्राम मंगीसपुर व ग्राम करमाखेडी की काकड है, से होकर बना हुआ है और मौके पर चालू भी है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31.01.2025 को पेश फोटोग्राफस जिन पर कोई खसरा नं. अंकन नहीं है के अवलोकन से भी प्रतीत होता है कि सरकारी भूमि से होकर कच्चा रास्ता बना हुआ है और चालू है। साबित है

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहुँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और प्रार्थीगण सुविधा के लिए नया व छोटा रास्ता चाहते है।

(iii) रास्ते की अति आवश्यकता (Absolute need) होना– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहुँच हेतु कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता तो नहीं है लेकिन ग्राम करमाखेडी व मंगीसपुर की कांकड से होकर ख.नं. 446, 447, 447/1224 से होकर मौके पर अर्द्ध कच्चा वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है और मौके पर चालू भी है। अतः प्रार्थीगण को रास्ते की अतिआवश्यकता (Absolute need) होना साबित नहीं है। विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जाने का उद्देश्य सुविधा के लिए रास्ता दिया जाना नहीं है जबकि प्रार्थीगण वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने के बावजूद सुविधा के लिए छोटा रास्ता चाहते है। धारा 251 ए में सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(iv) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः–प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु डीएलसी की दुगुनी दरो से भुगतान हेतु सहमत है

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 19.07.2022 व 15.03.2025 के अनुसार ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 445 तक पहुँच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी.एक्ट. खारीज किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. खारीज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:26:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner